न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शैतान बनाम रूद्राक्ष ऐस्टैट ए डिविजन वगैरह

किस्म मुकदमाः–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026/62 (दूदू)

निर्णय 9/2/26

	श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका	
09.02.2026	शैतान बनाम रूद्राक्ष ऐस्टेट वगैरह (2026/62) यह अपील श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 40/2025 में पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें इकतरफा स्थगन आदेश पारित किया गया है। जिसमें मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रार्थीया को प्रथम उक्त स्थगन की जानकारी दिनांक 28.01.2026 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। पूर्व में जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी। प्रार्थी को देरीना उक्त कारणवश हुई है जो की क्षमा किये जाने योग्य है। उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए न्याय की मंशा के अनुरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 05.05.2025 से दिनांक 03.02.2026 तक का समय कण्डोन फरमाया जाना प्राकृतिक न्याय की मंशा के अनुरूप है। उक्त देरीना जानबूझकर नहीं होकर सद्भाविक एवं उपरोक्त कारणवश हुयी है जो की काबिले क्षमा है। अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 05.05.2025 से दिनांक 06.02.2026 तक का समय कण्डोन फरमाया जाकर अपील मियाद शुमार फरमाया जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज संख्या 472 के न्यायिक दृष्टांत में अंकन है कि " **Purpose of Rules of limitation is not to destroy the rights of the parties, rather the idea is that every legal remedy must be kept alive for a legislatively fixed period of time.**" इस अनुसार हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं कर मेरिट पर किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील प्रस्तुती में हुयी देरी को न्यायहित में कन्डोन कर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
शैतान बनाम रूद्राक्ष ऐस्टैट ए डिविजन वगैरह
किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 2026/62 (दूदू)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका

लगातार...

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाधीन आदेश अवैधानिक बिना किसी श्रवणाधिकार के मनमर्जी से पारित कर दिया गया है जो की अवैधानिक, कोर्ट मेन्यूअल, सी0पी0सी0 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विहीत सिद्धान्तों के विपरित आगामी आदेशों तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया गया है। जिसका कोई प्रावधान विधि में नहीं होने से आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट प्रकरण में अन्तर्निहित आराजीयात के अभिलिखित रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है। इसलिए स्थगन की तीनों घटक इन्ही के पक्ष में सुसावित है एवं विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन से पाबंद नहीं किया जा सकता है परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध बिना किसी आधार के मनमर्जी से दिनांक 05.05.2025 को अपीलाधीन आदेश इकतरफा बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 के प्रकरण में रिकॉर्डेड खातेदारान अपीलांट को स्थगन से पाबंद कर गंभीर तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है इसलिये अपीलाधीन आदेश प्रश्नगत अपील के माध्यम से इसी विधिक आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील विद्वान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 प्रकरण संख्या 40/2025 उनवान रूद्राक्ष एस्टैट एं डिविजन बनाम भूरी वगैरह का प्रभाव एवं प्रचलन एवं क्रियान्विति स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.05.2025 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया जिस पर बहस सुनी जाकर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किये गये तथा आगामी पेशी दिनांक 04.06.2025 नियत की गई। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब पेश किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से जो उज्र उठाये गये है वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब के साथ प्रस्तुत कर विधिक रूप से उपचार प्राप्त सकते है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है एवं सीधे ही अपील प्रस्तुत की है।

न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्यय्ता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर बिना गुणावगुण पर टिप्पीणी किये निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर
RAA

लगातार...

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शैतान बनाम रूद्राक्ष ऐस्टैट ए डिविजन वगैरह

किस्म मुकदमाः—225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 2026 / 62 (दूदू)

—श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका

ता०..	उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner